न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी सांचौर,
जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रकरण सं. 02/2022
जीसीएमएसः– 2022/9

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1.अचलाराम पुत्र वदाराम । 2. गणेशाराम पुत्र वदाराम। 3. पन्नाराम पुत्र कानाराम। 4. मेवाराम पुत्र वदाराम। 5.विशनाराम पुत्र वदाराम। 6.सेजु पत्नी कानाराम। 7.हकमाराम पुत्र कानाराम। 8.आंबाराम पुत्र हरजी। 9.गेरोदेवी पत्नी हरजी। 10.भाणाराम पुत्र हरजी। 11.मेघराज पुत्र हरजी,जातियान रेबारी निवासीगण मेडाजागीर तह–सांचौर जिला सांचौर		1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी सांचौर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट नियम 1956
तारीख रजूः– 14.02.2022

उपस्थितः–
1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री इब्राहीमशॉह ।
2. अप्रार्थी राज पैरोकार, तहसीलादर सांचौर।

दिनांक 19.07.2024

निर्णय

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा मेडाजागीर पटवार हल्का नानोल तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 360, 361, 366, 2, 21, 22, 23, 3, 484/1501, 517/1373, 523/1372,731,329,365,786 आई हुई है। उक्त खातेदारी भूमि के पश्चिमी दिशा में रेकर्डेड रास्ते पर पक्की सड़क पीडब्लूडी विभाग ने बना दी है, जिस पर आम जनता आवागमन करती है। उक्त रास्ता जिस पर पक्की सडक बनी हुई है जो लिपीकिय भूल भूल से खसरा नम्बर 731, 366 तथा 786 व 365 की माठ पर दर्ज की गई है। जबकि वास्वत में उक्त रास्ता खसरा नम्बर 731 व 786 के पश्चिमी माठ पर नजरी नक्शा में दर्शाये लाल रंग अनुसार मौके पर मौजूद है। उक्त नजरी नक्शा में दर्शाये लाल रंग के अनुसार रेकर्ड में दुरूस्ती कर रास्ता दर्ज करने का आदेश देने की कृपा करावें।

राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड [illegible] अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब कर जवाब प्राप्त किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सांचौर ने अपने लिखि[illegible] में निवेदन किया कि वर्तमान में मौके पर खसरा नम्बर 731,786 [illegible] बनी हुई है जो रेकर्ड में दर्ज राजकीय रास्ते से अलग है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा [illegible] रास्ता खसरा नम्बर 731,366,786 व 365 की माठ पर दर्ज होना लिपिकीय भूल होना बताया जो कि प्रार्थीगण का कथन पूर्णतय गलत है। भू–प्रबंध से पूर्व का रेकर्ड का अवलोकन करने पर पाया की राजकीय रास्ता वही पर अंकित है जहा वर्तमान में रेकर्ड व नक्शा में दर्ज है भू प्रबंध कार्यवाही में कोई त्रुटि नही हुई है। प्रार्थीगण अपनी सुविधानुसार खसरा नम्बर 731,786 के पश्चिमी माठ पर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.24 11:57:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

रास्ता से दर्ज करवाना चाहते है। जो कि उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार सही नही हैं। भू–प्रबंध के पूर्व का नक्शा व वर्तमान का नंक्शा में रास्ता दर्ज करने में कोई भूल या त्रुटि नही हुई है। अतः प्रार्थना पत्र पूर्णतया निराधार होने से खारिज योग्य है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के लिखित जवाब एवं रिकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपिया का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई एवं तद्नुसार संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि हल्का पटवारी, पटवार मण्डल नानोल की दिनांक 07.07.2022 की जॉच रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में रास्ता खसरा नम्बर 731 एवं 786 की दक्षिण माठ से गुजरता है एवं खसरा नम्बर 714 जहॉ रेकर्ड में दर्ज है, वहॉ प्रार्थीगण की रहवासी ढाणी बनी हुई है। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि खसरा नम्बर 731 एवं 786 के काश्तकार पूर्णतय से तरमीम शुद्वि हेतु सहमत है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का की मौका जॉच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी की रहवासी ढाणी रिकॉर्डेड रास्ते पर स्थित है और वर्तमान में प्रार्थीगण द्वारा चाही गई तरमीम के स्थान से आवागमन हो रहा है और वहॉ पक्की सड़क का निर्माण भी हो रखा है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम सारवान होने से स्वीकार किया जाता है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 731 व 366 तथा 786 व 365 के मध्य दर्ज खसरा नम्बर 714 के भाग को तरमीम को दुरस्त करते हुए खसरा नम्बर 731 व 786 की दक्षिण माठ पर तरमीम करें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल होकर नम्बर से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

उक्त आज दिनांक 19.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.24 11:...
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner